मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 मई 2018

क्र. **बी–8/8/2018/14–2** भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016–क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2018 में **पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर की** फसलों की अधिसूचना जारी की जाती है। संलग्न सूची अनुसार **पटवारी हल्कों, तहसील एवं जिला** के समक्ष अंकित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्रमांक 13015/03/2016–क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी ।
2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है ।
3. खरीफ मौसम 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक है । इसके मध्य अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसलवार ऋणी कृषकों का जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) का 100 प्रतिशत बीमा होना अनिवार्य है । जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) लागू होगा, जिसे पृथक से अधिसूचित किया जावेगा । ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु बीमित राशि समान होगी ।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, कपास फसल हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक पर जो भी कम हो तथा मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो लागू होगी ।
5. म.प्र.राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा ।

6. राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत निर्धारित जिलों के 5 समूह (क्लस्टर) में निम्नानुसार बीमा कंपनियां क्रियान्वयन एजेन्सी के रुप में कार्य करेंगी । निम्नानुसार क्लस्टरों के समक्ष दर्शाई गई बीमा कंपनियां संबंधित क्लस्टर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका (गाईडलाईन) राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्देशों, राज्य शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तथा राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार फसल बीमांकन का कार्य करेगी:–

क्लस्टर	संभाग	जिले	नियत कियान्वयन एजेन्सी
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	उज्जैन, शहडोल	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड
बी	इन्दौर, नर्मदापुरम	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया
सी	सागर, ग्वालियर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ग्वालियर, शिवुपरी, गुना, दतिया, अशोकनगर	एच.डी.एफ.सी इरगो
डी	जबलपुर, रीवा	जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया
ई	भोपाल, चंबल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर कलां, भिण्ड	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया

7. दावा राशि की गणना निम्नानुसार सूत्र के आधार पर की जावेगी ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{(थ्रेसोल्ड उपज – वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेसोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

वास्तविक उपज की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जावेगी । थ्रेसोल्ड उपज की गणना अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल के लिये पिछले 7 वर्षों के उत्पादकता के आंकडों के आधार पर की जावेगी, किन्तु शासन द्वारा म.प्र. राज्य के लिये खरीफ मौसम हेतु वर्ष 2013 एवं 2015 एवं रबी मौसम में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 को आपदा वर्ष घोषित किया गया है । इस स्थिति में 2 आपदा वर्षों को विलोपित कर शेष 5 वर्षों के आंकडों के औसत उपज के आधार पर थ्रेसोल्ड उपज की गणना की जावेगी । मूंग एवं उड़द हेतु आपदा वर्ष लागू नहीं होंगें एवं थ्रेसोल्ड उपज की गणना पिछले 5 वर्षों के आंकडों के आधार पर की जावेगी ।

8. यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र जिला/तहसील/पटवारी हल्कों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होते है या औसत पैदावार के आंकडे प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस इकाई के उच्चतर इकाई की औसत पैदावार के आंकडों के आधार पर दावों का आंकलन किया जायेगा ।

9. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुसार योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं:–

क्र.	गतिविधि	खरीफ	रबी
1	ऋण लेने की अवधि एवं अऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितंबर से 15 जनवरी
2	किसानों के खातों से प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि Debit from farmers account	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितंबर से 15 जनवरी
3	बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र/प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	ऋणी हेतु 31 अगस्त एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 अगस्त	ऋणी हेतु 31 जनवरी एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 जनवरी
4	बैंकों द्वारा कृषकों की जानकारी साफ्टकापी फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 अगस्त	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 जनवरी
5	फसल कटाई प्रयोग परिणाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि (संबधित अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा शासन की वेबसाईड पर आंकड़े अपलोड किये जायेगें)	31 जनवरी समस्त फसलों हेतु एवं तुअर कपास हेतु 31 मई	30 जून
6	अंतिम दावा वितरण	उपज आंकड़े प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अन्दर	

10. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं ।

I. **बाधित बुआई/रोपण जोखिम** : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा ।

II. **खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक)** : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे, लम्बी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जलभराव, कृमि व रोग एवं रोगों, भू–स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है ।

III. **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये छोड़ा जाता है ।

IV. **स्थानीय आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि–भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू–स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति ।

सामान्य अपवर्जनः युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।

11. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के कुल रकबे के 75 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त होने पर बिन्दु क्रमांक 10–(i) में आवरित जोखिम लागू होगा । म.प्र. राज्य में अधिसूचित फसलों हेतु बीमित इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुआई का रकबा जिला कलेक्टर द्वारा फसल मौसम के प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेंगें तथा जिलावार एवं फसलवार बोनी की अवधि एवं अंतिम तिथि फसल मौसम के पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किये जायेगें । जिला कलेक्टर बाधित अथवा निष्फल बुआई/रोपण परिस्थितियों के तहत अनुमानित क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को इकाई की प्रतिशतता के परिपेक्ष्य में अधिसूचित बीमा इकाई की घोषणा करेगें । इस प्रावधान को जिला कलेक्टर द्वारा संकेतकों/परोक्ष संकेतकों के आधार पर, दी गई अधिसूचना के आधार पर अभिविनिर्दिष्ट किया जाता है ।

इस प्रावधान अंतर्गत प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरांत संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

12. फसल अवस्था के बीच में बिन्दु क्रमांक 10–(ii) के अनुसार फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज थ्रेसोल्ड उपज की 50 प्रतिशत या कम आने की संभावना होने पर यह प्रावधान लागू होगा । जिला कलेक्टर द्वारा परोक्षी संकेतकों के आधार पर नुकसान की अधिसूचना जारी की जावेगी । बीमा कंपनी संभावित नुकसान का बीमा कंपनी और जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर अग्रिम भुगतान किये जाने वाली धनराशि का निर्णय करेगी, एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन मार्गदर्शी निर्देश xii-c & d के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी (बीमा कंपनी) के माध्यम से दावा भुगतान सुनिश्चित करेगी ।

ऑन अकाउन्ट भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{(\text{थ्रेसोल्ड उपज} - \text{अनुमानित उपज})}{\text{थ्रेसोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि का 25 \% (अधिकतम)}$$

13. कटाई उपरांत फसल क्षति का आवरण एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर बिन्दु क्रमांक 10–(iii) अनुसार सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अंदर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । इस प्रावधान अंतर्गत नुकसान का मूल्यांकन (उपज बीमा) करने के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 48 घण्टों के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेंगें । अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र का 25 प्रतिशत से कम प्रभावित होने पर प्रभावित कृषकों की पृथक–पृथक क्षति आंकलित कर दावा राशि की गणना की जावेगी । यदि अधिसूचित क्षेत्र की

अधिसूचित फसल का प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत या अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं नुकसान की प्रतिशतता का निर्णय बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा किया जायेगा ।

14. क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में बिन्दु क्रमांक 10–(iv) के अनुसार बीमा आवरित होगा । अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत फसल क्षेत्र का 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र प्रभावित होने पर एकल फार्म/कृषक स्तर पर क्षति की गणना की जावेगी । यदि किसी अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल क्षति का रकबा 25 प्रतिशत या अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा तथा नुकसान की प्रतिशतता का निर्णय बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा किया जायेगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी/संबंधित बैंक/क्षेत्रीय कृषि विभाग/राजस्व विभाग/जिला प्रशासन या बीमा कंपनी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर की जावेगी । क्षति के आंकलन हेतु बीमा कंपनी/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 48 घंटे के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेगें ।

15. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी–8–5/2016/14–1, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा ।

क्रमांक		
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3	अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर राजस्व	सदस्य सचिव
4	उप संचालक कृषि	सदस्य
5	परियोजना संचालक आत्मा	सदस्य
6	उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
7	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
8	उपायुक्त सहकारिता	सदस्य
9	अधीक्षक भू–अभिलेख	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य

12	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
14	प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेन्सी (फसल बीमा के लिये अधिकृत एजेन्सी)	सदस्य

16. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी ।

17. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा।

18. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर काटी जावेगी । खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक–पृथक काटी जावेगी ।

19. राज्य में अधिसूचित बीमित इकाई एवं फसलों के अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर प्रमुख फसलों के 4, तहसील स्तर पर 16 एवं जिला स्तर पर 24 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किये जावेगें ।

20. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति से इतर अन्य जोखिमों में तात्कालिक राहत/दावा राशि भुगतान होने पर अंतिम वास्तविक उत्पादकता परिणाम के आधार पर बने अंतिम दावा राशि में समायोजन किया जावेगा । अंतिम दावा राशि अधिक होने पर तात्कालिक राहत राशि/दावा को अंतिम दावा राशि से घटाकर शेष भुगतान किया जावेगा एवं कम होने पर कृषक से कोई वसूली नहीं की जावेगी ।

21. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकडे व बोया गया रकबा राजस्व विभाग द्वारा शासन की बेबसाईड पर अंतिम दिनांक तक अपलोड किये जा सकेगे, वे ही मान्य होंगें ।

22. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक XXIV-4-M के अनुसार "योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस की गल्तियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाऐं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी ।

23. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर, सोयाबीन, को पटवारी हल्का स्तर पर ज्वार, कोदो–कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास को तहसील स्तर पर एवं मूंग उड़द को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । म.प्र.राज्य में निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है ।

24. योजना के संबंधित अन्य दिशा–निर्देशों के लिये भारत शासन द्वारा जारी प्रचालन मार्गदर्शिका संचालन पद्धतियों का अनुपालन करेंगें ।